

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 34/2021



दिनांक : 05.10.2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....नेताराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....अनुराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....शैलाहर.....पटवार मण्डल.....शैलाहर.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.२०२१.०७४.....के खाता संख्या...३५.....में
खातेदार/मैस खातेदार का नाम/जाति.....नेताराम.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....नेताराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....शैलाहर.....से करवाने पर पटवारी ने.....नेताराम.....के
बजाय.....नेताराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....नेताराम.....
के बजाय.....नेताराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....शैलाहर.....
के खाता संख्या.....३५.....में खातेदार/मैस खातेदार का नाम/जाति.....नेताराम.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....नेताराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

1537
9-10-21

